न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—266/2015/223 (2015/00018)

1. बद्रीलाल पुत्र स्व0 गंगाराम,
2. जयप्रकाश पुत्र स्व0 गंगाराम,
3. दयाशंकर पुत्र स्व0 गंगाराम,
   समस्त जाति रेगर, निवासी ग्राम बबाईचा, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।
2. हल्का पटवारी ग्राम बबाईचा, तह0 व जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर दिनांक 10.7.2015 अंतर्गत वाद संख्या 214/2013.

उपस्थितः—

1. श्री मौहम्मद इकबाल, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंटस ।

निर्णय

दिनांकः—27.8.2018

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.7.2015 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 सपठित धारा 132 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांटस/वादीगण के पिता स्व0 गंगाराम पुत्र जेठा, जाति रेगर, निवासी ग्राम बबाईचा की आराजियात खसरा नंबर वर्किंग 713 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी—3 के पुराने खसरा नंबर 666 रकबा 10 बीघा थे, जिसके हाल आधारभूत नंबर 938/1923 रकबा 1.62 है0 बने है । उपरोक्त आराजियात पर वादीगण के पिता स्व0 श्री गंगाराम द्वारा राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1957 के तहत दिनांक 26.7.1966 को बाद अलोटमेंट कब्जा एवं दखल प्राप्त कर आवंटन नियमों की पालना पूर्ण रूप से की गई जो कि खसरा गिरदावरी संवत् 2020 लगायत 2023 से होती है, जिसमें कॉलम संख्या 6 में अलोटमेंट दिनांक 26.7.1966 का हवाला दिया गया है तथा वादीगण के पिता के नाम वादग्रस्त आराजियात 10 बीघा का आवंटन किये जाने का नोट अंकित है तथा खसरा विभिन्न वर्षो की खसरा गिरदावरियों से कब्जे

काश्त की पुष्टि होती है । आवंटन नियमों की शर्तो को वादीगण के पित स्व0 गंगाराम पुत्र जेठाा व उनके बाद वादीगण के द्वारा पूर्ण किया गया है, जिससे वादीगण वादग्रस्त आराजियात पर गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है । उपरोक्त आशय का वाद प्रस्तुत कर वाद डिक्री करने का निवेदन किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने वादपत्र दर्ज कर निर्णय व डिक्री दिनांक 10.7.2015 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादग्रज्ञत आराजी खसरा नंबर पुराने 66 के वर्किग खसराा नपंबर 713 जिसके आधारभूत खसरा नंबर 938/1923 रकबा 1.62 है0 बने है पर अपीलांटस का नाम अधिकार अभिलेख में गैर खातेदार के रूप में दर्ज चला आ रह है तथा उपरोक्त आराजियात अपीलांटस के पिता स्व0 गंगाराम को दिनांक 26.7.1966 को आवंटित की गई थी जिसके पश्चात् अपीलांटस के पिता द्वारा खसरा गिरदावरी संवत् 2020 से 2023, 20230 से 2032, 2034 से 2036, 2038 से 2041, 2044 से 2046, 2048 से 2051, 2052 से 2055, 2056 से 2059, 2060 से 2063 में आवंटन नियमों की पूर्ण पालना की है परन्तु रेस्पो0 संख्या 2 के द्वारा आवंटन नियमों की पालना की गई है । रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने जवाब में स्वंय यह माना है कि अपीलाधीन आराजियात अधिकार अभिलेख में अपीलांटस की गैर खातेदारी में दर्ज है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि ग्राम बबाईचा में कैम्प कोर्ट लगाया गया था जिसमें जरिये नोटिस अपीलांटस को तलब किया गया था जिसमें अपीलांटस को यह कहकर हस्ताक्षर करवाये गये कि प्रकरण में आगामी पेशी दे दी जावेगी और न्यायालय में आकर पेशी की जानकारी कर लेना। जब अपीलांट ने रीडर से पेशी की जानकारी बाबत् दिनांक 13.7.2015 को संपर्क किया तो उन्होंने अपीलांटस को यह जानकारी दी कि आपका वाद कैम्प में ही खारिज कर दिया गया है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा वादपत्र का जवाब लोक अदात बबाईचा में प्रस्तुत किया गया जिसके पश्चात् वादी के वादपत्र एवं प्रतिवादी के जवाबदावें के आधार पर ावद में तनकियाम कायम की जानी थी किन्तु अधी0न्याया0 ने जा0दी0 आदेश 13 के प्रतिकूल वाद में तनकियात कायम किये बिने वादीगण के वाद को अपास्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री में अंकित किया है कि धारा 16 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है जबकि वादग्रस्त आराजियात बारानी अंकत है और मौके पर कृषि उपयोग में ली जा रही है जो कि खसरा गिरदावारियों से स्पष्ट है । अधी0न्याया0 का निर्णय नोन–स्पीकिंग है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 10.7.2015 अपास्त यिका जावे एवं प्रकरण अधी0न्याया0 को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जावे कि वादीगण/अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से वाद को निर्णित करे ।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादीगण/अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से अपना वाद साबित करने में असफल रहे है इसी कारण अधी0न्याया0 ने अपीलांटस का वाद निरस्त किया है । अतः अपील अपीलांटस अपास्त की जावे ।

5. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वाद को लोक अदालत कैम्प बबाईचा में दिनांक 10.7.2015 को निर्णित किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने अधी0न्याया0 में लोक अदालत में दिनांक 10.7.2015 को जवाब दावा प्रस्तुत किया है तथा अधी0न्याया0 ने इसी दिनांक को वादीगण का वाद खारिज किया है । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वाद में तनकियात कायम किये बिना वाद को निर्णित किया है जबकि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय को वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर, कायम तनकियात पर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को तनकीवार निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 का उल्लघंन किया है। अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.7.2015 को विधिक निर्णिय नहीं माना जा सकता है । अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 10.7.2015 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

6. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.7. 2015 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर वाद में आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद में आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के तहत तनकीवार निर्णय पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 27.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर